अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 29/26 (CIS NO. 29/26)

अनिल कुमार यादव बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस याचिका सं0 29/2026

अनिल कुमार यादव बनाम जविप्रा

दिनांक 18.06.2026

अधिवक्ता रेफरेंसकर्ता श्री चन्द्रहास सिंह उपस्थित। अप्रार्थी जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सारण उपस्थित।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका प्रस्तुत कर निम्नप्रकार अनुतोष चाहा कि अप्रार्थी को इस आशय का निर्देश/आदेश पारित किया जावे कि अप्रार्थी एवं उसके अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू.नि. क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में खसरा नं0 1061 रकबा 0.0100 है0 व खसरा नं0 1064/2 रकबा 0.3600 है0, खसरा नं0 1064/1 रकबा 0.6500 है0, खसरा नं0 1064 रकबा 0.3000 है0 संपूर्ण तथा खसरा नंबर 1060 रकबा 0.5900 है0 व खसरा नंबर 1062 रकबा 1.0000 है0 में हिस्सा 1/2 तथा खसरा नं0 1064/3 रकबा 2.5200 है0 में हिस्सा 821/2800 हैक्टयर में अवस्थित स्थाई/अस्थाई निर्माण में किसी प्रकार की तोडफोड, सीलिंग आदि की कार्यवाही ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी मजदूर व बेलदार आदि से कररावे, साथ ही प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

जविप्रा की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत कर निम्नप्रकार कथन किया कि जविप्रा द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है। वह पूर्णतया जांच पडताल करने के उपरांत ही जविप्रा नियमों एवं विनियमों के तहत ही की जाती है। इसलिये प्रार्थी का उक्त रेफरेंस खारिज किये जाने योग्य है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 29/26 (CIS NO. 28/26)

अनिल कुमार भार्गव बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस याचिका का निस्तारण निम्नानुसार किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

यह अधिकरण जविप्रा को आदेश देता है कि वह विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। रेफरेंस याचिका का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **18.06.2026** को खुले न्यायाधकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।